न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
88/2012 (पूर्ववर्ती)	25.10.2012	25.10.2012
559/2017/प्रार्थना पत्र (पुनः दर्ज)	01.08.2017	13.02.2019

उनवान

सदीक हुसैन पिता शफी मोहम्मद पठान निवासी शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– धन्ना पिता बालू कुमावत निवासी दोलतपुरा, तह0 शाहपुरा
2– रोडू पिता धन्ना कुमावत निवासी दोलतपुरा, तह0 शाहपुरा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहम्मद शरीफ : अधिवक्ता प्रार्थी
– 2 श्री शोभागमल कुमावत, अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता : विपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, प्रार्थी के ग्राम दोलतपुरा पटवार हल्का दोलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में कृषि भूमि आराजी नं0 673 रकबा 0.79 हेक्टेयर, आराजी नं0 674 रकबा 0.47 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.26 हेक्टेयर स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। विपक्षीगण पडौसी है जो प्रार्थी से आये दिन आराजीयात की हकाई, बुवाई, फसल की कटाई व घास की कटाई करते समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते है और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। अतः उपरोक्त कृषि आराजीयात की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी कराते हुये चारो सीमाओं पर निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढ़ी कराई जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर दिनांक 25.10.2012 को किया जाकर पत्थरगढ़ी आदेश सीधे ही तहसीलदार, शाहपुरा को दिये गये। जिसकी अपील विपक्षीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई। जिसकी अपील संख्या 34/2013/भीलवाड़ा उनवान धन्ना पुत्र बालू वगैरा निवासी दोलतपुरा बनाम सदीक हुसैन पठान निवासी शाहपुरा है। निर्णय 23.02.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसमें अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का प्रकरण संख्या 88/2012 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट एवं प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे। आदेश की पालना में प्रकरण दिनांक 01.08.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी जरिये सम्मन की गई। दिनांक 28.08.2017 को प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मोहम्मद शरीफ उपस्थित हुए एवं विपक्षीगण की ओर से श्री शोभागमल कुमावत, श्री अक्षयराज रेबारी ने अधिकार पत्र पेश किया। जवाब हेतु अवसर की मांग की गई। दिनांक 11.04.2018 को विपक्षीगण को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। प्रकरण 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 वास्ते पक्षकारान की सुनवाई अटल सेवा केन्द्र दोलतपुरा पर रखा गया। अभिभाषक विपक्षी सहमत नहीं होने से प्रकरण पुनः मुख्यालय पर सुनवाई हेतु रखा गया। दिनांक 08.01.2019 को

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब एवं दस्तावेज पेश किये गये। प्रकरण में दिनांक 06.02.2019 को विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस समायत की गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार होकर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान कराना फरमावें। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व वाद संख्या 146/2003 मोती बनाम महबूब इन्द्राज दुरूस्ती प्रकरण इसी आराजीयात का न्यायालय श्रीमान् के यहां जैरकार होकर वर्तमान नम्बर 55/18 है। अतः उक्त इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण का निस्तारण नही हो जाता है, तब तक उक्त पत्थरगढ़ी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जावें। पत्थरगढ़ी प्रकरण निस्तारण से पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक मुकद्मेंबाजी बढेगी। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य पूर्ववती वाद संख्या 149/03 मोती बनाम महबूब वर्तमान नम्बर 55/18 इन्द्राज दुरूस्ती जेरकार है। अतः इस पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र को पूर्ववर्ती वाद के क्लब्ड किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट को वर्तमान वाद पत्र नम्बर 55/18 मोती बनाम महबूब के क्लब्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। मूल वाद निस्तारण के पश्चात् प्रार्थी पत्थरगढ़ी कराने के लिए स्वतन्त्र है।

आदेश आज दिनांक 13.02.2019 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)